

मीना

फर्द अहकाम कैलाश
बनाम

मालय : सहायक कलक्टर, बस्सी पत्र 141 / 2024
द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

08.2024

यह प्रार्थना पत्र प्राथी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब ब्यादेश से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एक पक्षीय सुनवाई का ब्यादेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रकृति का प्रतीत होता है अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 440, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.3700 हैक्टर स्थित ग्राम तूंगा पटवार हल्का तूंगा भू0अ0नि0 तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर में अप्रार्थीगण आगामी तारीख 03.09.2024 तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वादपत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हो। इस आशय का प्रार्थी आज ही शपथ पत्र पेश करे। पत्रावली पुनः दिनांक 03.09.2024 को पेश हो।

(Signature)
सहायक कलक्टर
बस्सी, जयपुर ग्रामीण

31/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्नी उपस्थित।
पत्रावली वाले रतजाट तलवी देबु दिनांक
31/9/24 को पेश हो।

31/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्नी उपस्थित।
अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं भी उपस्थित।

फर्द अहकाम बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
राजस्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
राजस्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>न्यायालय लखनऊ में ११-११-१९५६ में लगावई गई परन्तु ना ले वा डी/आधी त्यंय उपस्थित हुए, ना ही आधी की ओर ले कोई वकील उपस्थित हूए। अतः आधी का आधीता पत्र शुद्ध धारिरी अन्त परती के आधीउ प्रमाणित होता है।</p> <p>दजावली नलकर ले उम होउ कारिरी दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>मनी</u></p>